न्यायालय-सिविल जज(जू.डि.) कोंच, जिला जालौन।

मूलवाद संख्या-258/2016

राजेश कुमार बनाम श्रीमती साधना आदि।

दिनांक: 22.02.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 17 क-1 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी.पर बल दिया गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 17 क-1 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी -

प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 17 क-1 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि उक्त मुकदमा में प्रतिवादी संख्या-02 केदारनाथ की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिस्थापन प्रा०पत्र प्रस्तुत करने में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि वादी राजेश कुमार भारतीय सेना में कार्यरत है अवकाश न मिलने के कारण पैरवी में नहीं आ सका।प्रस्तावित संशोधन- प्रतिवादी संख्या-02 के सामने मृतक लिखे जाने की याचना की गई है।

प्रतिवादीगण विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रुप से अग्रसारित कर दी गयी।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त मुकदमा में प्रतिवादी संख्या-02 केदारनाथ की मृत्यु हो चुकी है। वादी के भारतीय सेना में कार्यरत होने एवं अवकाश ने मिलने के कारण वह समय प्रा०पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। वांछनीय संशोधन-वादपत्र में प्रतिवादी संख्या-02 केदारनाथ के नाम के आगे "मृतक" दौरान वाद अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी/वादी द्वारा चाहा गया उक्त संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती न ही वाद का कारण परिवर्तित होता है और न ही पक्षकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतःप्रार्थी/वादी का प्रा०पत्र 17 क-1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 17 क-1, स्वीकार किया जाता है।प्रार्थी/वादी वांछित संशोधन नियमानुसार अंदर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त जबावदावा दिनांक 16.04.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
कोंच जिला जालौन।

"This is uncertified copy for informational purpose ,
For authentic copy, please refer to the certified copy only."
Hari Mohan Yadav
(Steno)